संख्या01/2019/4312/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-299/ज.जा.वि./25ए/ज.जा.वि./कौ0वि0/2018-19, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 एवं पत्रांक-279/25ए/ज.जा.वि./कौ0वि0/2018-19, दिनांक-22.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 में आय-व्ययक के मुख्यलेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-05-पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन-20-सहायता अनुदान, 2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-06-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर को अनुदान (100 प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित)-20 सहायता अनुदान एवं 2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-07-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण (100 प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित)-20-सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध **प्राविधानित धनराशि रू0-197.54 लाख** के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **धनराशि रू0-98.68273 लाख (रू0-अठ्ठान्वे लाख अड़सठ हजार दौ सौ तिहत्तर मात्र)** की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधांे तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे पूर्व, पूर्व में स्वीकृत कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष धनराशि जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(3) गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी/स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष अवधि की स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और पी0एल0ए0, बैंक, डाकखानों आदि खातो में नहीं रखी जायेगी।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत ''मुख्यलेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-05-पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन-20-सहायता अनुदान, 2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-06-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर को अनुदान (100 प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित)-20 सहायता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान एवं 2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-07-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण (100 प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित)-20-सहायता अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-01/2019/4312(1)/26-3-2018-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।